

अज अदालत नायब तहसीलदार जालोर

सरकार जरिये पटवारी हल्का साफाडा बनाम स्वतंत्र शुभाश्वर पुत्र बीर सिंह  
जाति रावठारिया निवासी फिरोजपुरा मुकदमा नम्बर 75/2016  
अन्तर्गत धारा 91 आर एल आर एक्ट 1956

निर्णय

दिनांक 08-2-2017

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल हाजिर। जो किसी भी प्रकार का साक्षी/सबूत प्रस्तुत करना नहीं चाहता है। अतः गैर सायल की सहादत बंद की जाती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मामले में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का साफाडा द्वारा संवत् 2074 की रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया गया है कि गैर सायल द्वारा मौजा फिरोजपुरा के खसरा नं. 793 रकबा 0.48 है 0, किस्म काठिया पर नाजायज तौर से अतिक्रमण कर कच्चा बनाया है। रिपोर्ट के आधार पर मामला धारा 91 आर एल आर 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को धारा 91(3) के तहत नोटिस तलब किया गया। सुनवाई के दौरान गैर सायल की और से किसी भी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश करना नहीं चाहता है। उक्त आराजी का अतिक्रमी घोषित किया जाकर भौतिक रूप से बेदखली का आदेश दिया जाता है। वार्षिक लगान 1.44 रुपये का 50 गुणा जुर्माना अंको में 72/- रुपये अक्षरे बीकटर रूपये बतोर गैर सायल पर आरोपित किया जाते हैं। पटवारी हल्का को वसूली एवं भौतिक रूप से बेदखली करने हेतु लिखा जावे एवं जुर्माना मांग रा.ले. सं 4 में दर्ज करायी जावे मिसल बाद तामिल फैसला सुमार होकर नम्बर से कम दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08-2-2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

नायब तहसीलदार जालोर

पुवाराधर्मिया